अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2017 अनवानी दाउलाल पुत्र हरदास रंगा निवासी राजरंगो की गली, बीकानेर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दाउ लाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दाउ लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.02.17 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) मुकदमा रिव्यू प्रार्थना–पत्र नम्बर 29 सन 2016 शिवशंकर बनाम सरकार के फर्द अहकाम दिनांक 10.03.2014 से दिनांक 24.02.2017 तक की नकल उपलब्ध कराने का श्रम करे।
(2) मुकदमा संख्या रिव्यू प्रार्थना पत्र 29 सन 2014 शिवशंकर बनाम स्टेट के आगामी तारीख पेशी से अवगत कराने का श्रम करे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से चाही गई सूचनांए 30 दिन की समय अवधि निकल जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई जबाब दिया गया है। उसके द्वारा चाही जा रही सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं 250 रूपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राजकीय कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 387 दिनांक 03.05.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 268 दिनांक 05.04.17 के द्वारा 10 रूपये की राशि जमा करवाने के लिए लिखा गया था जो उसके द्वारा जमा नही करवाई गई है जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई है।

इस सन्दर्भ में अपीलार्थी ने अपने पत्र दिनांक 31.05.17 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर का उक्त पत्र सं0 268 दिनांक 05.04.17 उसे 21.05.17 को प्राप्त हुआ है जिसमें दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 03.05.17 को 10 रूपये का पोस्टल आर्डर न0 35एफ613285 उन्हें भिजवाया दिया गया है किन्तु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के उक्त पत्र सं0 268 दिनांक 05.04.17 के सन्दर्भ में 10 रूपये की राशि का पोस्टल आर्डर प्रा0 पत्र दिनांक 03.05.17 के साथ रजिस्टर्ड डाक से उन्हे भिजवाया जा चुका है किन्तु फिर भी उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा उनके निर्देशानुसार 10 रूपये की राशि का पोस्टल आर्डर रजि0 डाक से उन्हे भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे शीघ्र भिजवावें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर